फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

श्री नेनुसिंह पिता अभयसिंह चुण्डावत सी/ओ हिम्मत माली 383 रोड नं. 5ए अशोकनगर उदयपुर

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 29/2017**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 14.12.2017 पत्रावली पेश हुयी। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ से वांछित सूचना प्राप्त नही होने से यह अपील जरिये रजिस्ट्री डाक से प्रेषित की गयी। अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लो0सू0अ0 तहसीलदार देवगढ को अपील प्रति भेजकर अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लो0सू0अ0 तहसीलदार देवगढ द्वारा जरिये पत्र क्रमांक रीडर/2017/133–34 दिनांक 13.12.2017 से प्रेषित रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत चाही गयी सूचना का प्रार्थना पत्र सीधे ही स्पीड पोस्ट डाक द्वारा दिनांक 05.10.2017 को पटवारी हल्का काकरोद को भिजवाया गया। प्रत्यथी को उक्त सूचना के अधिकार के संबंध में किसी प्रकार का अपीलार्थी द्वारा कोई पत्र/आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांकः–1297–98 दिनांक 28.11.2017 का प्राप्त होते ही दिनांक 13.12.2017 को जानकारी होने से तत्काल पटवारी हल्का काकरोद द्वारा सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को दिनांक 13.12.2017 को ही रजिस्टर्ड डाक द्वारा वांछित सूचना निःशुल्क भिजवा दी गयी है। प्रत्यथी द्वारा इस कार्यालय के आदेश प्राप्त होते ही सूचना तत्काल तैयार की जाकर भिजवा दी है। एवं अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में कोई आवेदन नहीं देने से अपील संख्या 29/2017 को निरस्त फरमाने की कृपा करावें। लो0सू0अधिकारी तहसीलदार देवगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वांछित सूचना अपीलार्थी को जरिये डाक से प्रेषित की जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा लो0सू0अ0 तहसीलदार, देवगढ मे कोई आवेदन नहीं देने से अपील को इसी स्टेज पर निरस्त की जाती है। निर्णय प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **जिला कलक्टर राजसमन्द**	